

# कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़



सी.यू.जी. - 9454400250,

दूरभाष- 05462-260403,

ई-मेल- spazh-up@nic.in



पत्र संख्या- 17/2025

## प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 13.01.2025

हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 13.01.2025 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यवाहियां की गयी है-

### 01.थाना- मेंहनगर: चोरी गये सामान के साथ 03 अभियुक्त गिरफ्तार

#### पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण (संक्षेप में)-

दिनांक 12.01.2025 को प्रार्थी अजीत गोड पुत्र स्व० रामप्रताप गोड ग्रा० विरभानपुर थाना मेहनगर आजमगढ़ की तहरीरी सूचना की दिनांक 9-1-25 को समय करीब 2.30 बजे रात में प्रार्थी के खेत से बोरिंग का रिक्स्वाल अज्ञात लोगो द्वारा चुराकर (निकाल) कर ले गये जिसके सम्बन्ध में मु०अ०सं० 19/2025 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात के पंजीकृत कर किया गया।

#### गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण-

दिनांक 13.01.2025 को उ०नि० आदिल खाँ मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में विवेचना से प्रकाश में आये अभियुक्त 1. विरु सोनकर पुत्र परवाड़ सोनकर ग्राम महवां वीरभानपुर थाना मेहनगर आजमगढ़, 2.रामदीन चौहान पुत्र दीनदयाल चौहान ग्राम जाफरपुर थाना मेंहनगर जिला आजमगढ़, 3.निककू चौहान पुत्र दीनदयाल चौहान निवासी जाफरपुर थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़ के साथ उनके पास बरामद रिक्स्वाल करते हुए समय 12.30 बजे बहद ग्राम गौरा राइसमिल के आगे से गिरफ्तार कर उपस्थित थाना आये। बरामदगी के आधार पर जुर्मधारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गयी। गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान मा० न्यायालय किया गया है।



## 02. थाना गम्भीरपुर: दुष्कर्म करने वाला वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार

### पूर्व की घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 17.12.2024 को वादिनी मुकदमा थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ ने थाना गम्भीरपुर पर लिखित तहरीर दी कि विपक्षी विनय उर्फ जैकी पुत्र संतोष राय निवासी अछीछी थाना गम्भीरपुर जनपद-आजमगढ़ उम्र-35 वर्ष द्वारा वादिनी की लडकी के साथ दुष्कर्म किया गया था जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-10/2025 धारा 65(2),351(2) BNS व 5M/6 पाक्सो एक्ट थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ बनाम विनय राय उर्फ जैकी पुत्र संतोष राय निवासी ग्राम अछीछी थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ पंजीकृत किया गया था।

आज दिनांक-13.01.2025 को थानाध्यक्ष बसन्त लाल मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त विनय उर्फ जैकी पुत्र संतोष राय निवासी अछीछी थाना गम्भीरपुर जनपद-आजमगढ़, वाराणसी आजमगढ़ को हाईवे पर ग्राम अछीछी मोड़ के पास समय करीब 11.54 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया है।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम-

1-विनय उर्फ जैकी पुत्र संतोष राय निवासी अछीछी थाना गम्भीरपुर जनपद-आजमगढ़ उम्र-35 वर्ष



### 03.थाना गम्भीरपुर: अवैध असलहा व कारतूस के साथ 01 हिस्ट्रीशीटर व पशुतस्कर गिरफ्तार ।

अवगत कराना है कि आज दि0-18/05/2024 को उ0नि0 विजय कुमार शुक्ल मय हमराह को सूचना मिली कि साहब विषहम मोड़ से कुछ दूरी आगे पर एक संदिग्ध व्यक्ति एक पेड़ के पास मौजूद है तथा अपने पास असलहा लिया है तथा कोई घटना करने हेतु कहीं जाने की फिराक में है , इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुँचकर उक्त व्यक्ति को पकड़ लिया गया है, पकड़े गये व्यक्ति ने अपना नाम आबिद उर्फ बोदई पुत्र जुबेर निवासी मुडियार थाना फूलपुर जिला आजमगढ़ उम्र 38 वर्ष को एक देशी तमन्चा .315 बोर व एक जिन्दा कारतूस .315 बोर के साथ समय करीब-09.30 बजे मौके से ही गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त आबिद उपरोक्त थाना फूलपुर का मजारिया हिस्ट्रीशीटर (हिस्ट्रीशीट सं0 73A) है व पशु तस्कर है। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-14/2025 धारा-3/25 भादवि थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ पंजीकृत किया जा रहा है। नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

#### पंजीकृत अभियोग-

1- मु0अ0सं0 14/25 धारा 3/25 आर्मस एक्ट थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ ।

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0-302/2017 धारा-147/323/352/452/504/506 भादवि थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़
2. मु0अ0सं0-562/2023 धारा-8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़
3. मु0अ0सं0-45/2020 धारा-380/411/457 भादवि थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़
4. मु0अ0सं0-48/2020 धारा-411/413/414/419/420/467/468/471/474 भादवि थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़
5. मु0अ0सं0-191/2021 धारा-4/25 आर्मस एक्ट थाना अहरौला जनपद आजमगढ़
6. मु0अ0सं0-74/2020 धारा-3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़
7. मु0अ0सं0-111/2019 धारा-3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना गम्भीरपुर आजमगढ़
8. मु0अ0सं0-124/2019 धारा- 3/25 आर्मस एक्ट थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़
9. मु0अ0सं0-269/2022 धारा-380/457 भादवि थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़
10. मु0अ0सं0-155/2018 धारा-363/366/376 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़
11. मु0अ0सं0-59/2021 धारा-3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़
12. मु0अ0सं0-193/2015 धारा-379 भादवि थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़
13. मु0अ0सं0-14/25 धारा 3/25 आर्मस एक्ट थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़।
14. HS 73A थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़

बरामदगी –

- 1- एक देशी तमन्चा .315 बोर
- 2- एक जिन्दा कारतूस .315 बोर

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

- 1-आबिद उर्फ बोदई पुत्र जुबेर निवासी मुडियार थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ ।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

- 1-उ0नि0 विजय कुमार शुक्ला थाना गम्भीरपुर आजमगढ़
- 2-हे0का0 शिवधन यादव थाना गम्भीरपुर आजमगढ़
- 3-का0 विनोद वर्मा थाना गम्भीरपुर आजमगढ़



#### **04.थाना निजामाबाद: 05 घरों व दुकानों में ताला तोड़ कर चोरी व चोरी करने के प्रयास करने वाला चोर गिरफ्तार**

##### **पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण –**

दिनांक 09.01.2025 की रात्रि में अज्ञात चोर द्वारा वादी मुकदमा धीरज कुमार सिंह पुत्र विजय बहादुर सिंह निवासी बडहरिया थाना निजामाबाद के परसहाँ उर्फ क्यामुद्दीनपट्टी बाजार में स्थित मकान में घुसकर साईकिल व अन्य सामान चोरी कर लिया गया तथा उसी मकान में मोतीलाल यादव पुत्र रामफेर यादव के क्लीनिक तथा बाजार में स्थित रामसिंह यादव पुत्र श्री अन्तू प्रसाद यादव के मकान में लगे कैमरा और युनियन बैंक ग्राहक सेवा केन्द्र संचालक विजय प्रकाश यादव पुत्र सतिराम यादव के मकान में व बगल की ज्वैसलर्स की दुकान गोवर्धन सेठ की दुकान में ताला तोड़कर चोरी करने का प्रयास किया गया। जिसके संबन्ध में दिनांक 10.01.2025 को थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 07/2025 धारा 331(4),305 BNS बनाम अज्ञात चोर पंजीकृत किया गया था। आवश्यक कार्यवाही व विवेचना हेतु चौकी इंचार्ज फरिहा उ0नि0 श्री अनिल सिंह को दिया गया।

##### **गिरफ्तारी का विवरण –**

आज दिनांक 13.01.2025 को उ0नि0 अनिल सिंह व उ0नि0प्रशि0 शुभम त्रिपाठी मय हमराह को सूचना मिली की फरिहा मोहम्मदपुर रोड नहर रोड पर एक संदिग्ध व्यक्ति घूम रहा है जिसके पास चोरी की साईकिल व कुछ सामान है। इस सूचना पर मौके पर पहुंच कर उस व्यक्ति को हमराही पुलिस बल की मदद से समय 07.50 बजे पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्ति का नाम पता पूछते हुये जामा तलाशी ली गयी तो उसने अपना नाम धर्मेन्द्र चौहान पुत्र लालमुनी चौहान निवासी नखुआ सुम्भी थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 42 वर्ष बताया तथा उसके पास से दो लोहे के सरिया के टुकड़े व 240/ रुपये व एक साईकिल भी बरामद हुआ। अभियुक्त को उसके द्वारा कारित अपराध

जुर्म धारा 331(4), 305, 317(2) BNS का बोध कराकर समय 08.00 बजे हिरासत पुलिस में लिया। बरामदगी के आधार पर धारा 317(2) BNS की वृद्धि की गयी। अभियुक्त उपरोक्त का नियमानुसार माननीय न्यायालय/जेल भेजा गया।



#### **05.थाना बिलरियागंज: अवैध असलहा व कारतूस के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार ।**

अवगत कराना है कि दिनांक-12.01.2025 को उ0नि0 लवकुश कुमार मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान ग्राम अलाउद्दीनपट्टी के पास से अभियुक्त वकास उर्फ अबु वकास पुत्र सेराज साकिन अलाऊद्दीनपट्टी थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 22वर्ष को एक तमन्चा .315 बोर व एक जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद के साथ समय करीब 20.55 बजे दिनांक 12.01.2025 को गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

**पंजीकृत अभियोग-**

1- मु0अ0सं0 14/25 धारा 3/25 आर्मस एक्ट थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ।

#### **आपराधिक इतिहास-**

1-मु0अ0सं0 414/24 धारा 4/25 आयुध अधिनियम थाना बिलरियागंज आजमगढ़

2-मु0अ0सं0 14/25 धारा 3/25 आर्मस एक्ट थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ।

#### **बरामदगी -**

1- एक देशी तमन्चा .315 बोर

2- एक जिन्दा कारतूस .315 बोर

#### **गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-**

1-वकास उर्फ अबु वकास पुत्र सेराज साकिन अलाऊद्दीनपट्टी थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ।



## 06. थाना- मेंहनगर: अवैध असलहा व कारतूस के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण (संक्षेप में)-

दिनांक 12.01.2025 को व0उ0नि0 रंजय कुमार सिंह मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान अक्षैबर नगर पुलिसिया से सचिन यादव पुत्र प्यारे लाल यादव सा0 राजापुर थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ व मुन्ना यादव पुत्र रामबली यादव सा0 कोहडा थाना शाहगंज जनपद जौनपुर को हिरासत पुलिस में लेकर तलाशी की गयी तलाशी के दौरान अभियुक्तगण के पास से बरामदशुदा 01 तमंचा .315 बोर मय 1 जिन्दा कारतूस .315बोर व 1 तमंचा 12 बोर व एक जिंदा कारतूस 12 बोर व एक वाहन सीज सुदा स्कार्पियो UP 16 AS 7009 कब्जे से बरामद हुआ के उपस्थित थाना आये उक्त के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 20/2025 धारा 3/25 आयुध अधिनियम बनाम 1.सचिन यादव पुत्र प्यारे लाल यादव सा0 राजापुर थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ व 2.मुन्ना यादव पुत्र रामबली यादव सा0 कोहडा थाना शाहगंज जनपद जौनपुर पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तो का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

9.गठित टीम- व0उ0नि0 रंजय कुमार सिंह मय हमराह उ0नि0 अमित कुमार यादव व उ0 नि0 आदिल खान का0 उदयभान गुप्ता का0 अतुल शुक्ला, का0 अजय राय व म0 का0 पूनम तिवारी

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

- 1.सचिन यादव पुत्र प्यारे लाल यादव सा0 राजापुर थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ
- 2.मुन्ना यादव पुत्र रामबली यादव सा0 कोहडा थाना शाहगंज जनपद जौनपुर

बरामदगी का विवरण:-

- 1- तमंचा .315 बोर मय 1 जिन्दा कारतूस .315बोर व 1 तमंचा 12 बोर व एक जिंदा कारतूस 12 बोर

पंजीकृत अभियोग –

- 1-मु0अ0सं0 20/2025 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना मेंहनगर आजमगढ

